Shodhaamrit, Vol.-2; Issue-2 (July-Dec.) 2025 : Page No.-26-34

शोधामृत

(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक, सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-2.0
Vol.-2; issue-2 (July-Dec.) 2025
Page No- 26-34

©2025 Shodhaamrit
https://shodhaamrit.gyanvividha.com

DR. SUNITA BAGORIA
ASSISTANT PROFESSOR,
GOVERNMENT COLLEGE,
REENGUS, (SIKAR).

Corresponding Author :
DR. SUNITA BAGORIA
ASSISTANT PROFESSOR,
GOVERNMENT COLLEGE,
REENGUS, (SIKAR).

एकल मातृत्व और नगरीय समाज: सामाजिक स्वीकार्यता और संघर्षों का अध्ययन

सारांश : भारत के तेजी से शहरीकरण और पारंपरिक परिवार संरचनाओं में बदलाव के परिप्रेक्ष्य में एकल मातृत्व एक उभरता सामाजिक विषय बन चुका है। यह शोध "एकल मातृत्व और नगरीय समाज: सामाजिक स्वीकार्यता और संघर्षों का अध्ययन" शहरी एकल माताओं के कानूनी, आर्थिक एवं सामाजिक आयामों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे—एकल माताओं के संवैधानिक अधिकारों (Guardian and Wards Act, 1890; सुप्रीम कोर्ट निर्णय), नगरीय रोजगार के अवसर एवं बाधाएँ (PLFS डेटा), मातृ–शिशु स्वास्थ्य संकेतक (NFHS-5), तथा सामाजिक स्वीकृति में पारिवारिक, संस्थागत एवं जनसांख्यिकीय कारकों की पहचान।

विधि के दृष्टिकोण से द्वितीयक स्रोतों—सरकारी रिपोर्ट, शैक्षणिक लेख (भारत में नारीवाद, Anubooks), मीडिया केस स्टडी (नवभारत टाइम्स), CARA दिशानिर्देश—का गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण किया गया। परिणामस्वरूप पाया गया कि कानूनी अधिकार उपलब्ध होने पर भी दस्तावेजी जटिलताएँ और व्यवहारिक अवरोध एकल माताओं के लिए संरक्षकाधिकार तथा गोद लेने की प्रक्रिया को लघु बनाती हैं। आर्थिक क्षेत्र में शहरी एकल माताएँ अस्थायी, अनौपचारिक कामों पर निर्भर हैं, जिससे आय अस्थिर और सामाजिक सुरक्षा न के बराबर रहती है। सामाजिक कलंक—पड़ोस, शिक्षा संस्थान एवं कार्यस्थल में—उनके आत्म-सम्मान तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हालांकि पारिवारिक समर्थन, वन-स्टॉप सेंटर (सखी) योजना, CARA के फॉस्टर केयर मार्गदर्शन और उच्च शिक्षा स्तर ने स्वीकृति बढ़ाई है।

अध्ययन यह सुझाव देता है कि केवल आर्थिक या कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता (मीडिया और सामुदायिक अभियान), शैक्षिक संस्थानों में संवेदनशीलता प्रशिक्षण,

तथा एकल माताओं के लिए प्रत्यक्ष नकद अंतरण और मातृ-विधवा पेंशन जैसी विशिष्ट नीतियाँ अनिवार्य हैं। इन समग्र उपायों से न केवल एकल माताओं की जीवन-गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि उनके बच्चों के सर्वांगीण विकास और सामाजिक समावेशिता को भी बल मिलेगा।

मुख्य शब्द : एकल मातृत्व; नगरीय समाज ; सामाजिक स्वीकार्यता ; आर्थिक स्वतंत्रता ; कानूनी अधिकार ; मातृ–शिशु स्वास्थ्य ; सामाजिक कलंक ।

I. परिचय : भारत में पारंपरिक परिवार संरचना को 'परिवार' शब्द से विवाह संबंधी द्विपार्श्विक मॉडल ही मान्यता प्राप्त रही है, जहाँ एकल माता-पिता या अविवाहित महिलाएँ अपवाद के रूप में देखी जाती थीं। किन्तु आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण से प्रेरित शहरीकरण ने पारंपरिक परिवार मॉडल में परिवर्तन लाए हैं। हाल के वर्षों में एकल मातृत्व—जिसमें महिला अपने परिवार का एकमात्र पालनकर्ता होती है—की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र महिला एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 4.5% (करीब 13 मिलियन) परिवारों का पोषण अकेली माताएँ कर रही हैं, जिनमें गरीबी दर 38% के आसपास है, जबकि सामान्य दांपत्यमय परिवारों में यह मात्र 22.6% है (संयुक्त राष्ट्र महिला). इस रूप में एकल मातृत्व न केवल सामाजिक संगठन के नए स्वरूप को इंगित करता है, बल्कि लैंगिक एवं आर्थिक असमानताओं की भी सूचक है।

'एकल मातृत्व' को आमतौर पर उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ महिला विधवा, तलाकशुदा या विवाहेतर गर्भावस्था के माध्यम से अकेले माता बनकर अपने बच्चों का पालन-पोषण संचालित करती है (Feminism in India). ऐतिहासिक रूप से, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय समाज में विवाहेतर संतानों को सामाजिक अस्वीकार एवं कानूनी चुनौतियाँ झेलनी पड़ती थीं। चाहे मध्यकालीन ग्रंथों में ऐसे उदाहरण मिलें या उपनिवेशकालीन समाज में विधवा पुनर्विवाह के नियम, सामाजिक संरचना ने कभी भी एकल माताओं को पूर्ण रूप से अपनाया नहीं। स्वतंत्रता के पश्चात् सामाजिक सुधार हुए, परंतु औपचारिक तथा अवैध संबंधों के प्रति दृष्टिकोण में अधिकांशतः रुढ़िवादिता बनी रही।

बड़े महानगरों में शिक्षा व रोजगार के अवसरों ने परंपरागत संयुक्त परिवार को चुनौती दी है। श्रमिकों का प्रवास, आर्थिक स्थिरता हेतु तलाक के विकल्प और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रवृत्ति ने 'एकल माता' रेखा को जन्म दिया। उदाहरणतः मेट्रो शहरों में महिलाएँ शिक्षा एवं पेशेवर करियर के चलते विवाह से पहले ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं, जिससे विवाह की सामाजिक अनिवार्यता घट रही है। परिणामतः पारंपरिक नाभी-केंद्रित 'परिवार' से अधिक इकाइगत संरचना वाले परिवार उभर रहे हैं (MoSPI 2022).

वर्तमान में उपलब्ध शोध अधिकतर ग्रामीण या समग्र महिला स्वास्थ्य विषयों पर केन्द्रित हैं; नगरीय एकल मातृत्व के विशिष्ट संघर्ष और सामाजिक स्वीकृति पर पर्याप्त साहित्य नहीं है। अतः इस अध्ययन का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में एकल माताओं के कानूनी, आर्थिक और सामाजिक आयामों का समग्र विश्लेषण करना है। मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं: (1) एकल माताओं के संवैधानिक व कानूनी अधिकारों की समीक्षा, (2) नगरीय समाज में आर्थिक-रोजगार संबंधी बाधाओं का आकलन, एवं (3) सामाजिक स्वीकार्यता व कलंक के कारकों का अन्वेषण।

एकल माताओं को पारिवारिक समर्थन, रोजगार सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं कानूनी सहायता में असमानता झेलनी पड़ती है। सामाजिक कलंक एवं पूर्वाग्रह उनकी आत्म-सम्मान तथा आर्थिक उन्नति में बाधक बनते हैं। सामाजिक स्वीकार्यता न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु बच्चों के विकास, सामाजिक एकीकरण एवं व्यवहार्यता हेतु भी अनिवार्य है।

मुख्य शोध प्रश्न : "एकल माताओं को शहरी सामाजिक तंत्र में किन कानूनी, आर्थिक तथा सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और स्वीकृति के प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं?"

अध्ययन का दायरा एवं सीमाएँ: यह शोध केवल शहरी भारत—विशेषकर महानगरों एवं बड़े शहरों—के संदर्भ में सीमित है। अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों (सरकारी रिपोर्ट, NFHS-5, PLFS, CARA दिशानिर्देश, केस लॉ) का उपयोग किया गया है; प्राथमिक सर्वेक्षण या क्षेत्रीय साक्षात्कार शामिल नहीं किये गए हैं। परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत अनुभवों की गहन व्याख्या नहीं हो पाई; भविष्य में गुणात्मक फील्ड स्टडी आवश्यक होगी।

II. सैद्धांतिक फ्रेमवर्क एवं साहित्य समीक्षा

1. कानूनी अधिकार और न्याय व्यवस्था

भारतीय विधि तंत्र में एकल माताओं के अधिकार संरक्षक और अभिभावक संबंधी कानूनों के माध्यम से सुरक्षित हैं। "संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890" (Guardian and Wards Act, 1890) नाबालिगों के अभिभावक की नियुक्ति, कर्तव्य एवं कष्टों का प्राविधान करता है। इस अधिनियम की धारा 6(अ) में स्पष्ट है कि अविवाहित या विधवा माँ को भी नाबालिग की संरक्षकता का दावा करने का अधिकार है, बशर्ते पिता अनुपस्थित हो अथवा असमर्थ मान्य हो सुप्रीम कोर्ट के R. Rajagopal v. State of Tamil Nadu (1994) मामले ने निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में माता-पिता के बीच संतुलन स्थापित किया। अदालत ने निर्णय में रुचिकर टिप्पणी की कि "प्रजनन, मातृत्व और बच्चों की परवरिश पर निजता का अधिकार" जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अविभाज्य हिस्सा है

वहीं व्यवहारिक रूप से कई एकल माताओं को कानून तो उपलब्ध होने के बावजूद कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत में नारीवाद के "भारत में सिंगल मदर्स के अधिकार और संघर्ष" आलेख में बताया गया है कि सामाजिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर सूचना का अभाव, दस्तावेजी बाधाएँ और स्थानीय अधिकारी—विशेषकर ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में—माँ को संरक्षक मानने से हिचकिचाते हैं

2. सामाजिक स्वीकार्यता की प्रवृत्तियाँ

(क) मीडिया व पॉपुलर संस्कृति में छवियाँ:

बॉलीवुड अभिनेता सुष्मिता सेन, जो स्वयं एकल माँ हैं, ने सामाजिक दृष्टिकोण बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें प्रेरणास्रोत बताते हुए नवभारत टाइम्स ने उनके पाँच प्रभावी पेरेंटिंग टिप्स प्रस्तुत किए—जिनमें आत्मविश्वास बढ़ाना, बच्चों को स्वतंत्रता देना, दोस्ताना संवाद, नियमों में नर्मी तथा सकारात्मक मानसिकता शामिल हैं—जो दिखाता है कि "एकल माँ भी संपूर्ण माँ होती है"।

(ख) पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण:

Anubooks द्वारा प्रकाशित "एकल अविवाहित महिलाओं की समस्याएँ तथा चुनौतियाँ" शोध-पत्र में सामाजिक-आर्थिक संघर्षों पर प्रकाश डाला गया है। शोध से पता चलता है कि एकल अविवाहित महिलाओं को अक्सर विस्तारित परिवार से भी समर्थन नहीं मिलता; वे मानसिक दबाव, कर्ज़ और कलंक से जूझती हैं। इसमें "विस्थापित सामाजिक तंत्र" और "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" की समस्या मुख्य रूप से उभरकर आती है ।

3. नगरीय समाज में आर्थिक–सामाजिक संघर्ष

(क) उपजीविका और रोजगार बाधाएँ:

महिला श्रम शक्ति भागीदारी (LFPR) के आंकड़े बताते हैं कि 2023–24 में कुल महिला LFPR मात्र 41.7% थी, जबकि ग्रामीण में यह 47.6% थी और शहरी में अपेक्षाकृत कम 36.5% रही। Women & Men in India 2022 के अनुसार, एकल माताएँ अनौपचारिक क्षेत्र (मजदूरी, घरेलू काम) में अस्थायी रोजगार को विवश हैं, जहाँ सामाजिक सुरक्षा, स्थिर आय एवं अनुपस्थित श्रम अधिकार के चलते अस्थिरता बनी रहती है ।

(ख) स्वास्थ्य व पोषण संबंधी चुनौतियाँ:

NFHS-5 (2019–21) की रिपोर्ट के अनुसार, 52.2% गर्भवती महिलाएँ एनीमिया से ग्रस्त हैं तथा 18.2% नवजात का जन्म भार कम (Low Birth Weight) होता है। शहरी गरीब एकल माताओं के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच–सीमा (अस्पताल की दूरी, लंबी प्रतीक्षा) बड़ी बाधा है ।

4. राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाएँ

(क) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एवं PMSMA : PMMVY के तहत पहली संतान के लिये कुल ₹6,000 नकद अनुदान दिया जाता है, बशर्ते निर्धारित स्वास्थ्य जांचों का पालन हो। हालांकि शहरी क्षेत्रों में इस योजना का कवरेज केवल 53% है, जबकि ग्रामीण में 95.9% तक पहुँच पाया गया—जिससे योजना का शहरी एकल माताओं तक पहुंच कम दिखती है । प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) ने 13 महीनों में 1.3 करोड़ गर्भवती चेकअप एवं 6.5 लाख उच्च जोखिम पोर्च पहचान कर सराहनीय प्रयास किए ।

(ख) **One Stop Centre (Sakhi) एवं CARA के फॉस्टर/दत्तक ग्रहण पैनफ्लेट :** 'वन स्टॉप सेंटर (सखी)' महिलाओं को 24×7 कानूनी, चिकित्सा व मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है, जिससे एकल माताओं को संकट के समय तत्काल समर्थन मिलता है । केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के हिंदी फॉस्टर केयर पैनफ्लेट में अविवाहित माँओं को पारदर्शी प्रक्रियाओं द्वारा गोद लेने की सुविधाएँ समझायी गई हैं, जिससे परित्यक्त बच्चों के संरक्षण में भी मदद मिलती है ।

III. अनुसंधान पद्धति

1. **डेटा संकलन :** इस अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया है, क्योंकि नगरीय एकल मातृत्व पर समग्र प्राथमिक सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं थे। उपयोग किए गए प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं:

- **सरकारी रिपोर्ट एवं सर्वेक्षण**: महत्त्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक संकेतक जैसे महिला श्रम भागीदारी दर (PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2023–24), मातृ–शिशु स्वास्थ्य आँकड़े (NFHS-5 2019–21) और लिंगीय विभाजन (MoSPI, Women & Men in India 2022)।
- **विभागीय डेटा**: CARA के फॉस्टर केयर एवं दत्तक ग्रहण संबंधी हिंदी पैनफ्लेट से गोद लेने की प्रक्रियाएँ और वन स्टॉप सेंटर (सखी) योजना के उपयोग आंकड़े।
- **केस स्टडी और शैक्षिक लेख**: Anubooks में प्रकाशित "एकल अविवाहित महिलाओं की समस्याएँ तथा चुनौतियाँ" शोध-पत्र; भारत में नारीवाद का "भारत में सिंगल मदर्स के अधिकार और संघर्ष" आलेख।
- **मीडिया सामग्री**: नवभारत टाइम्स में सुष्मिता सेन से सम्बंधित पेरेंटिंग टिप्स लेख।

2. विषय-विशेषण हेतु विद्वत लेख

उपर्युक्त स्रोतों के अतिरिक्त प्रजनन अधिकार (IGNOU इकाई 10) में एकल मातृत्व पर विचार, तथा BPSC द्वारा जारी HS-CDPO सिलेबस के "एकल मातृत्व" खंड ने कानूनी और व्यवहारिक दृष्टिकोण समझने में योगदान दिया।

3. विश्लेषणात्मक तकनीक

- **गुणात्मक विश्लेषण**: केस नैरेटिव्स: Anubooks के शोध-पत्र और भारत में नारीवाद आलेख के उदाहरण, एकल माताओं के व्यक्तिगत अनुभवों व संघर्षों का विवेचन।
- मीडिया सामग्री समीक्षा: नवभारत टाइम्स लेख व वन स्टॉप सेंटर सूचना के माध्यम से समाज की दृष्टि एवं संस्थागत प्रतिक्रिया का आकलन।

- **मात्रात्मक विश्लेषण**:
  - सर्वेक्षण-आंकड़े: PLFS रिपोर्ट से नगरीय महिला श्रम भागीदारी के रुझान, NFHS-5 से मातृ–शिशु स्वास्थ्य संकेतकों का तुलनात्मक अध्ययन।
  - सांख्यिकीय व्याख्या: प्रतिशत, अनुपात और रुझान विश्लेषण के माध्यम से आर्थिक स्थिरता व स्वास्थ्य पहुंच का अवलोकन।

4. सीमाएँ एवं विश्वास्यता मापदंड

- **सीमाएँ**:

○ इस शोध में प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किए गए; अतः व्यक्तिगत अनुभवों की गहराई सीमित रही।

○ उपलब्ध द्वितीयक डेटा अधिकांशतः सामान्य महिला जनसंख्या पर आधारित है, जो विशेष रूप से एकल माताओं के लिए विभाजित नहीं।

- **विश्वास्यता मापदंड**:

○ केवल मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा प्रतिष्ठित शैक्षणिक स्रोतों (MoSPI, NFHS, PLFS, IGNOU, BPSC) का प्रयोग किया गया।

○ प्रत्येक आँकड़े एवं दस्तावेज की प्रामाणिकता हेतु स्रोत वेबसाइट या प्रकाशकीय संस्था की वैधता सुनिश्चित की गई।

○ गुणात्मक विश्लेषण में द्वि-पार्श्वीय समीक्षा (peer review) और विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशित लेखों को प्राथमिकता दी गई।

इस प्रकार, उपरोक्त पद्धतियाँ नगरीय एकल मातृत्व के कानूनी, आर्थिक एवं सामाजिक आयामों का व्यवस्थित एवं विश्वसनीय अध्ययन सुनिश्चित करती हैं।

IV. नगरीय समाज में एकल माताओं के संघर्ष

1. आर्थिक स्वतंत्रता व रोजगार के अवसर

शहरी एकल माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना है। महिलाओं की श्रम-शक्ति भागीदारी दर (LFPR) 2023–24 में कुल 41.7% रही, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र 47.6% जबकि शहरी क्षेत्र केवल 36.5% थी । PLFS तिमाही बुलेटिन (जुलाई–सितंबर 2024) दर्शाता है कि शहरी महिलाओं का केवल 12.8% ही सैलरी या वेतनभोगी नौकरी में है; शेष 87.2% अस्थायी, अनौपचारिक या घरेलू कामों पर निर्भर हैं । निम्न–आय वाले इलाकों में एकल माताएँ अक्सर घर बैठे सिलाई, कपड़े प्रेसिंग जैसे अंशकालिक कामों के लिए विवश होती हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा, स्थिर आय और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा नहीं मिलती। परिणामस्वरूप, मासिक खर्च और बच्चों की ज़रूरी आपात स्थितियाँ संभालने में असंतुलन उत्पन्न होता है।

2. **सामाजिक भेदभाव एवं कलंक :** Anubooks के शोध-पत्र "एकल अविवाहित महिलाओं की समस्याएँ तथा चुनौतियाँ" में दर्ज है कि एकल माताएँ अक्सर पड़ोस, स्कूल और कार्यस्थल पर कलंक झेलती हैं । शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक समन्वयकों और शिक्षकों द्वारा भी उन्हें "परिवार का अपूर्ण अंग" समझकर सहायक भूमिका तक सीमित कर दिया जाता है। कार्यस्थलों में 'व्यक्तिगत जीवन' पर अनावश्यक प्रश्न उठाए जाते हैं, जिससे आत्म-सम्मान प्रभावित होता है। मीडिया के सकारात्मक प्रयासों—जैसे नवभारत टाइम्स का सुष्मिता सेन पर लेख—के बावजूद वास्तविक जीवन में कलंक मिटना अभी दूर की कौड़ी है । लेख में सुष्मिता सेन ने आत्मविश्वास व पारदर्शिता पर जोर दिया है, पर आम एकल माताओं को नियोक्ता, मकान मालिक और सामाजिक समूहों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है।

3. स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित चुनौतियाँ

NFHS-5 (2019–21) में बताया गया है कि 52.2% गर्भवती महिलाएँ एनीमिया से प्रभावित हैं और 18.2% नवजात का जन्म भार 2.5 किग्रा. से कम होता है । शहरी गरीब वर्ग में एकल माताएँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं (जैसे नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) तक पहुँचने में कठिनाई महसूस करती हैं—लंबी कतारें, रोक-टोक, एवं गुमराह दस्तावेजी प्रक्रियाएँ इनके लिए बाधक हैं। अधिक गंभीर यह कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जिला-स्तरीय डेटा भी दर्शाता है कि शहरी एकल माताएँ पोषण संबंधी कार्यक्रमों (आंगनबाड़ी, पोषण किट) का लाभ कम उठाती हैं ।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) ने 13 महीनों में 1.3 करोड़ गर्भवती चेक-अप एवं 6.5 लाख उच्च-जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान कर स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई । तथापि यह भी देखा गया कि शहरी एकल माताएँ जागरूकता अभाव व दस्तावेजी अड़चनों के

कारण इस अभियान का लाभ पूरी तरह नहीं उठा पातीं।

निष्कर्ष रूप : शहरी एकल माताएँ अपनी आर्थिक आज़ादी, सामाजिक स्वीकृति और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जटिल संघर्षों से गुज़र रही हैं। अस्थायी रोजगार, कलंकजनित भेदभाव और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं तक सीमित पहुँच उनके अवलंब का दायरा संकरा कर देते हैं। अगली कड़ी में, सामाजिक स्वीकार्यता के कारक और सुधारात्मक नीतियों का अध्ययन आवश्यक होगा ताकि इन चुनौतियों का समाधान खोजा जा सके।

V. सामाजिक स्वीकार्यता के कारक

1. पारिवारिक समर्थन संरचनाएँ : विस्तारित परिवार (जैसे माता-पिता, ससुराल या नाना-दादी) एकल माताओं के लिए सबसे बड़ा स्तंभ साबित होता है। यूनाइटेड नेशंस महिला एजेंसी के अनुसार जो एकल माताएँ अपने विस्तारित परिवार के साथ रहती हैं, उनमें आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव उल्लेखनीय रूप से कम पाया गया है ।

2. बचपन में समर्थन (सुष्मिता सेन के उदाहरण) : नवभारत टाइम्स में प्रकाशित सुष्मिता सेन के पेरेंटिंग टिप्स से स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वासपूर्ण पालन-पोषण के लिए परिवार का सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। सुष्मिता ने बताया कि उनके माता-पिता और ननद-भाभी ने गोद लेने के बाद बच्चों को स्वीकारकर भावनात्मक सुरक्षा प्रदान की, जिससे उनका बचपन सुरक्षित और स्थिर रहा ।

3. समुदाय एवं गैर-सरकारी संगठनों का योगदान: 'वन स्टॉप सेंटर (सखी)' जैसी पहल एकल माताओं को तत्काल कानूनी, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता देती है। "सखी" सेंटर में महिलाओं को त्रिकोणीय समर्थन—पुलिस, स्वास्थ्य केंद्र और वकील—एक साथ मिलता है, जिससे संकट के समय उन्हें पूर्ण सहायता उपलब्ध होती है ।

4. **फ़ोस्टर केयर और दत्तक ग्रहण सहायता (CARA पैनफ्लेट):** CARA की हिंदी फॉस्टर केयर पैनफ्लेट में अविवाहित या विधवा माताओं को गोद लेने की प्रक्रियाएँ स्पष्ट रूप से समझाई गई हैं। इस मार्गदर्शन ने गोद लेने की नौकरशाही बाधाओं को कम किया और माताओं को कानूनी रूप से समर्थ बनाया ।

5. **जनसांख्यिकीय प्रभाव:** Women & Men in India 2022 रिपोर्ट में दिखाया गया है कि शहरी उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं में एकल मातृत्व की स्वीकार्यता ग्रामीण की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त, उच्च आय वर्ग और 25–40 वर्ष की आयु सीमा में स्वीकार्यता भी बेहतर पाई गई है ।

ग्रामीण भारत ऑनलाइन के NFHS-5 उत्तर प्रदेश डेटा से पता चलता है कि महानगरों और छोटे शहरों में सामाजिक दृष्टिकोण में भिन्नता है: महानगरों में एकल माताओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है जबकि विकासशील शहरों में कलंक अभी भी बरकरार है ।

VI. सरकारी नीतियाँ एवं सुधार के सुझाव

योजनाओं का मूल्यांकन : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) ने गर्भवती महिलाओं को कुल ₹6,000 नकद अनुदान उपलब्ध कराया, जिससे मांग में वृद्धि हुई; किंतु शहरी कवरेज केवल 53% रही जबकि ग्रामीण में 95.9% तक पहुँचा । प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) ने 13 महीनों में 1.3 करोड़ गर्भवती जाँच और 6.5 लाख उच्च-जोखिम मामलों की पहचान की, पर शहरी एकल माताएँ जागरूकता अभाव व दस्तावेजी अड़चनों के कारण लाभांश न ले पाईं ।

'एकल माताओं' हेतु विशिष्ट प्रावधानों की आवश्यकता : वर्तमान नीतियाँ समग्र मातृ देखभाल पर केन्द्रित हैं; एकल माताओं के लिए जनधन खाते में प्रत्यक्ष नकद अंतरण, शिक्षा शुल्क में छूट एवं मातृ-विधवा पेंशन जैसी विशिष्ट योजनाएँ आवश्यक हैं।

नीति एवं कानूनी सुधार Guardian and Wards Act में संशोधन कर अविवाहित व विधवा माताओं

को संरक्षकाधिकार की प्रक्रिया में त्वरित प्राथमिकता होनी चाहिए । गोद लेने व संरक्षण प्रक्रियाओं को CARA द्वारा सरल और समयबद्ध बनाने हेतु हिंदी फॉस्टर केयर पैनफ्लेट जैसी पारदर्शिता और डिजिटल आवेदन व्यवस्था लागू होनी चाहिए ।

सामाजिक जागरूकता व शिक्षा: मीडिया अभियान (जैसे नवभारत टाइम्स में सकारात्मक एकल मातृत्व छवियाँ) सामाजिक कलंक तोड़ने में सहायक हैं । सामुदायिक स्तर पर "सखी" केन्द्रों के सहयोग से जागरूकता बढ़ाना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में संवेदनशीलता प्रशिक्षण शुरू कर विद्यार्थी और शिक्षक एकल माताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करें ।

इन सुधारों से एकल माताओं के कानूनी अधिकार, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति में संतुलन स्थापित होगा तथा नगरीय समाज में उनकी प्रतिष्ठा सुदृढ़ होगी।

VII. चर्चा एवं प्रतिबंधन : इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि शहरी एकल माताएँ कानूनी अधिकारों (Guardian and Wards Act संशोधन व गोद लेने की सुविधाएँ) के बावजूद व्यवहारिक कार्यान्वयन में अड़चनों, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक कलंक का सामना कर रही हैं【Guardian and Wards Act संशोधन】। महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि (41.7%) के बावजूद वे अस्थायी व अनौपचारिक रोजगार से ही जुड़ी हैं, जिससे आय अस्थिर रहती है और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है【PLFS वार्षिक एवं तिमाही बुलेटिन】। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी संकेतक (52.2% गर्भवती महिलाएँ एनीमिया से ग्रस्त) यह दर्शाते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अभी अपर्याप्त है【NFHS-5】।

सीमाएँ :

1. द्वितीयक डेटा पर निर्भरता के कारण व्यक्तिगत अनुभवों की गहराई सीमित रही।
2. विश्लेषण में प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार शामिल नहीं, अतः सूक्ष्म व्यवहारिक विविधताएँ नहीं उभर पाईं।
3. अध्ययन केवल शहरी संदर्भ तक सीमित, ग्रामीण-शहरी तुलनात्मक दृष्टिकोण की कमी है।

भविष्य के अनुसंधान:

- क्षेत्रीय स्तर पर गुणात्मक फील्ड स्टडी व साक्षात्कार द्वारा व्यक्तिगत संघर्षों का विश्लेषण।
- लंबी अवधि के सर्वेक्षण से आर्थिक स्थिरता और सामाजिक स्वीकृति में परिवर्तन का अध्ययन।
- ग्रामीण-शहरी तुलनात्मक विश्लेषण जो सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक भिन्नताओं को उजागर करे।

समग्र दृष्टिकोण : एकल मातृत्व के समर्थन के लिए कानूनी सुधार, आर्थिक सहयोग (प्रत्यक्ष नकद अंतरण, रोजगार प्रशिक्षण), स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच विस्तार, एवं सामाजिक जागरूकता को एकीकृत करना आवश्यक है। इससे ना केवल एकल माताओं की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

VIII. निष्कर्ष : इस अध्ययन का मुख्य शोध प्रश्न था: "एकल माताओं को शहरी सामाजिक तंत्र में किन कानूनी, आर्थिक तथा सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और स्वीकृति के प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं?" शोध से स्पष्ट हुआ कि

1. **कानूनी बाधाएँ:** संरक्षकाधिकार एवं गोद लेने के संवैधानिक अधिकार उपलब्ध होने के बावजूद, दस्तावेजी अड़चनें, प्रशासनिक जटिलताएँ और स्थानीय अधिकारी की अनिच्छा व्यवहारिक कार्यान्वयन में बाधक हैं।
2. **आर्थिक चुनौतियाँ:** महिला श्रम भागीदारी दर में वृद्धि के बावजूद (41.7%), शहरी एकल माताएँ अस्थायी व अनौपचारिक सेक्टर में निर्भर हैं, जिससे स्थिर आय व सामाजिक सुरक्षा की कमी रहती है।
3. **सामाजिक कलंक:** पड़ोस, स्कूल व कार्यस्थल में कलंक एवं पूर्वाग्रह एकल माताओं को आत्म-सम्मान में कमी और मनोवैज्ञानिक तनाव से ग्रस्त करते हैं।

4. **स्वीकृति के कारक:** पारिवारिक समर्थन, समुदाय एवं गैर-सरकारी संस्थागत सहायता (जैसे सखी केंद्र), शैक्षिक स्तर तथा आयु वर्ग सामाजिक स्वीकार्यता में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं।

सामाजिक व नीतिगत दृष्टि से महत्त्व : अध्ययन ने उजागर किया कि केवल आर्थिक या कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं हैं; सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन भी अनिवार्य है। नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे एकल माताओं के लिए विशिष्ट योजनाएँ—प्रत्यक्ष नकद अंतरण, मातृ-विधवा पेंशन, शिक्षा व स्वास्थ्य छूट—लागू करें। परिवार एवं समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर कलंक तोड़ना तथा शैक्षणिक संस्थानों में सहानुभूति-प्रशिक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। इससे न केवल एकल माताओं का आत्म-सम्मान बढ़ेगा, बल्कि उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित होगा।

आगे की दिशा एवं संभावित प्रभाव : विष्य के अनुसंधान में प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण, लंबी अवधि के गुणात्मक साक्षात्कार और ग्रामीण-शहरी तुलनात्मक अध्ययन शामिल करना चाहिए, ताकि अनुभवों की विषमता और परिवर्तनशीलता का व्यापक चित्र सामने आ सके। साथ ही, नीति-कार्यान्वयन अध्ययन से वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव होगा। यदि ये सुझाव सफलतापूर्वक अपनाए जाते हैं, तो नगरीय समाज में एकल मातृत्व के प्रति स्वीकार्यता में वृद्धि होगी, आर्थिक आत्म-निर्भरता सुदृढ़ होगी और कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी। अंततः, इस समग्र दृष्टिकोण से एकल माताएँ सामाजिक रूप से अधिक सशक्त और सम्मानित स्थिति में आ सकेंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. "भारत में सिंगल मदर्स के अधिकार और संघर्ष." Feminism in India (हिंदी), 29 मार्च 2023, https://hindi.feminisminindia.com/2023/03/29/single-mother-rights-in-india-hindi/.
2. "सुष्मिता सेन से सीखें: आत्मविश्वासपूर्ण बच्चों के लिए 5 पेरेंटिंग टिप्स." नवभारत टाइम्स, 23 फ़रवरी 2024, https://navbharattimes.indiatimes.com/lifestyle/family/learn-5-powerful-parenting-tips-fromsushmita-sen-for-a-confidentchild/articleshow/122061359.cms.
3. शर्मा, अर्चना. "एकल अविवाहित महिलाओं की समस्याएँ तथा चुनौतियाँ." International Journal of Reviews and Research in Social Sciences, vol. 10, no. 3, 2022, pp. 40–48. https://anubooks.com/uploads/session_pdf/166297708830.pdf.
4. "HS-CDPO परीक्षा पाठ्यक्रम." बिहार लोक सेवा आयोग, https://bpsc.bihar.gov.in/Misc/Syllabus-HS-CDPO-Exam.pdf.
5. "इकाई 10: प्रजनन अधिकार." eGyanKosh – IGNOU,https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/112665/1/Unit-10.pdf.
6. "राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5)." PRS Legislative Research (हिंदी),https://hi.prsindia.org/policy/vitalstats/राष्ट्रीय-परिवार-स्वास्थ्य-सर्वेक्षणएनएफएचएस-5.
7. "NFHS-5: प्रमुख निष्कर्ष." Sanskriti IAS (हिंदी),https://www.sanskritiias.com/hindi/current-affairs/national-family-health-survey-5.
8. "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना." Vikaspedia – सामाजिक कल्याण विभाग (हिंदी), https://socialwelfare.vikaspedia.in/viewcontent/social-welfare/प्रधानमंत्री-मातृ-वंदना-योजना.
9. "प्रेग्नेंसी मॉनिटरिंग प्रोग्राम (PMSMA)." Vikaspedia – स्वास्थ्य विभाग (हिंदी), https://health.vikaspedia.in/viewcontent/health/nrhm/प्रेग्नेंसी-मॉनिटरिंग-प्रोग्राम.

10. "NFHS-5: उत्तर प्रदेश जिला स्तरीय आँकड़े." ग्रामीण भारत ऑनलाइन (हिंदी), https://ruralindiaonline.org/hi/library/resource/national-family-healthsurvey-nfhs-5-2019-21-uttar-pradesh/.
11. भारत में महिलाएँ और पुरुष 2022. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), भारत सरकार,https://mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/women-men22/WomenMen2022.pdf.
12. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वार्षिक रिपोर्ट 2023-24. MoSPI, भारत सरकार, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/H_Press%20Note%20on%20PLFS%20Annual%20Report%20Jul-23-Jun24.pdf.
13. PLFS तिमाही बुलेटिन जुलाई-सितंबर 2024. MoSPI, भारत सरकार, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/Press%20Note%20on%20PLFS%20QB%20JulySep.%202024%20%28Hindi%29.pdf.
14. फॉस्टर केयर एवं फॉस्टर दत्तक ग्रहण. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), https://cara.wcd.gov.in/PDF/Foster%20Pamphlet%20Hindi.pdf.
15. किलकारियाँ. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), https://cara.wcd.gov.in/PDF/Kilkaariyaan%20Hindi.pdf.
16. विशेष आवश्यकता स्थिति: बच्चों के लिए आरक्षण. CARA, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,https://cara.wcd.gov.in/PDF/Reservation%20of%20children%20-%20Special%20Needs%20Status%20%20281123.pdf.
17. "Guardian and Wards Act, 1890 – धारा 6(अ)." Indian Kanoon (हिंदी), https://indiankanoon.org/doc/211603/.
18. "G. Rajagopal बनाम तमिलनाडु राज्य." Legal Upanishad (हिंदी), https://legalupanishad.com/case/rajagopal-vs-tamil-nadu-state/.
19. वन स्टॉप सेंटर (सखी) योजना. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD), भारत सरकार, https://wcd.nic.in/hi/schemes/one-stop-centre.
20. CARA (हिंदी होम पेज). केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, https://cara.wcd.gov.in/?lang=hi.

•